

19/11/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 5/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

05/04/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 05/03/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

27/11/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 23/8/24 को पेश हो।

23/8/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 27/9/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

27/9/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 10/10/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

4/10/24 पत्रावली पेश हुयी। वादी अधिवक्ता  
इयत् प्रतिवादी के सम्मन नामील  
नही हुये। सम्मन राजे ए. डी. पैदा  
करा प्रकाश विनायक 22/11/24  
को पेश हो।

22/11/24 पत्रावली पेश हुयी। पीठासीन अधिकारी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर  
मोलवाड़ा

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल नंज

20/12/24

पत्रावली पेश हुई / वारी आधी 0340, पत्रावली आधी  
0340, प्रकरा शाकीक आदेश में दिनांक 23/11/25  
को पेश करे

23/1/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 21/2/25 को पेश हो।  
आदेश से रीडर

31/2/25

पत्रावली पेश हुई / वारी. पत्रावली आधी 0340  
प्रकरा शाकीक आदेश में दिनांक 6/2/25 को  
पेश करे

6/2/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक 11/2/25 को पेश हो।  
आदेश से रीडर

11/2/25

पत्रावली पेश हुई। वारी एवं वारी आधी. अनु. वारी एवं  
वारी आधीवबता की वाद प्र उस्तरीकरण के बाद से निरन्तर  
उत्तरी सी 1 की तलनी हेतु निरन्तर प्रस्ताव दिए जा रहे  
हैं। उत्तरी सी 1 की वारी द्वारा तलनी क्रिये जाने हेतु  
निरन्तर प्रस्ताव दिए जाते के उपरान्त श्री सम्मन तलबाने पेश  
करी क्रिये गये हैं। इस प्रकार वारी मात न्यायालय आदेश की  
पालना में उत्तरी सी 1 की तलनी हेतु कोई प्रयास नहीं  
क्रिये गला है। अतः वारी द्वारा उस्तरी वाद अन्तर्गत धारा  
88, 89, 92 क एवं 188 राजधान कारशकारी आधिनियम  
की आदेश 9 नियम 5 जागत वीवानी में बारीय क्रिये जात  
है। निर्णय से इन्तलास सुनाया गया। सी 1 पत्रा वारी  
हो।

पत्रावली फौसल शुमार ठेकर दायील दफ्तर लेखपा  
नम्बर से कम ही।  
11/2/25

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्री देबीलाल पिता रामाजी बोला (रेगर) निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. श्रीमती प्रेमी पत्नी मूला पूर्व पति गोमा रेगर, निवासी बोरियापुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा  
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।  
3. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा।


प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा  
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 40/2016 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित नहीं — इस वाद में आज तारीख 11.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता को वादपत्र प्रस्तुतीकरण के बाद से निरन्तर प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी हेतु निरन्तर अवसर दिये जा रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 01 की वादी द्वारा तलबी किये जाने हेतु निरन्तर अवसर दिये जाने के उपरान्त भी सम्मन तलवाने पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार वादी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 की तलबी हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आदेश 09 नियम 05 जाप्ता दीवानी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा